ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

कमलादेवी बनाम कालूराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 13/25 धारा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	12/08/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। इंतजार कुर्रेजात हेतु दिनांक 26/8/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	26/08/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। तहसीलदार जालसू को पुनः कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात हेतु दिनांक 09/09/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
कुर्रेजात प्राप्त 29.8.25		
	9/9/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुके है। वास्ते बहस दिनांक 15/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	15/9/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.वा. उप./ बहस हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता के समय पाया। एक अंतिम अवसर दिया जाता है अगली ता. पेशी पर आवश्यकरूप से बहस करे। पत्रावली दिनांक 18/9/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	18/09/2015	पत्रावली [illegible] वादी [illegible] बहस सुनी [illegible] किया प्रस्तुत [illegible] हेतु बाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 13/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 21.01.2025

कमला देवी पत्नि श्रवणलाल जाति बलाई निवासी ग्राम नारीका बास पोस्ट मॉचवा तहसील व जिला जयपुर।

.......वादीया

बनाम

1. कालूराम पुत्र हीरा देवी
2 दीपक पुत्र हीरा देवी
3. रोशन पुत्र हीरा देवी
   सभी 01 जाति बलाई सहित 03 लोग ग्राम मुण्डोता तहसील मुण्डोता जिला जयपुर के निवासी हैं।
4. मनभरी देवी पुत्री हीरा देवी पत्नि कैलाश जाति बलाई निवासी ग्राम चरण नदी बालाजी कॉलेज के पास नाडी का फाटक तहसील व जिला जयपुर।
5. सुगना देवी पुत्री हीरा देवी पत्नि कालूराम जाति बलाई निवासी ग्राम महेशवास तहसील मुण्डोता जिला जयपुर।
6. किरण देवी पुत्री मदनलाल
7. गुड्डी देवी पुत्री मदनलाल
8. रेखा देवी पुत्री मदनलाल
9. मूली देवी पत्नि मदनलाल
10. पप्पु पुत्र मदनलाल
    समस्त 06 लगायत 10 जाति बलाई निवासी ग्राम दादरबावडी तहसील जालसू जिला जयपुर।
11. गुलाब देवी पुत्री बोदुराम उर्फ बोदया पत्नि प्रहलाद जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
12. नाना देवी पुत्री बोदुराम उर्फ बोदया पत्नि कजोडमल जाति बलाई निवासी ग्राम मण्डा तहसील कालवाड जिला जयपुर।
13. माली देवी पुत्री बोदुराम उर्फ बोदया पत्नि रामूजी जाति बलाई निवासी ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. गोपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र बोदुराम उर्फ बोदयां
15. नेमचन्द पुत्र श्रवणलाल
16. भोला पुत्र श्रवणलाल
17. महादेव की पत्नी नानची
18. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण
19. लालाराम पुत्र मंगला
    समस्त 13 लगायत 19 जाति बलाई निवासी ग्राम ... तहसील जालसू जिला जयपुर।
20. प्रकाश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र
21. रमेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
22. सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र समस्त 19 लगायत 21 जाति बलाई निवासी ग्राम आछोजाई तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

23. राजेश कुमार मेघवाल पुत्र नानालाल मेघवाल जाति बलाई निवासी मकान नम्बर 31 जी. रेलवे कॉलोनी राणा प्रताप नगर उदयपुर। हाल निवासी 319 बी 01 रजनी विहार तह. व जिला जयपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।
25. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा सरना डूंगर तहसील झोटवाडा जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 19.09.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादीया व प्रतिवादीगण की ग्राम दादरबावडी, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू. अभि. नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुरमें स्थित आरजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0. 15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.21 कुल किता 14 कुल रकबा 2.75 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी है, जिसे वाद पत्र के आगे की मदों में "विवादग्रस्त आराजी" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। जिसके वादीया व प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा वादीया व प्रतिवादीगण राजस्व हिस्सा अनुसार कब्जे काश्त है जिसका आज दिनांक तक विधिक विभाजन नही हुआ है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी कि भूमि है, जिसमें वादीया कमला देवी पत्नि श्रवणलाल तथा प्रतिवादीगण सहखातेदार है जिस पर सभी पक्षकार अपने अपने हिस्सा अनुसार साधिकार काबिज काश्त है लेकिन वादग्रस्त आराजी का विधिक विभाजन नही हुआ है वादीया को हक व अधिकार है कि वादग्रस्त आराजी का माननीय न्यायालय श्रीमान से राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाये। उक्त भूमि में नाथी देवी पत्नि श्रवणलाल मृतक खातेदार है जिनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के रूप में संयोजित किया गया हैं। वादग्रस्त आराजी खातेदारी भूमि है, जिस पर वादीया व प्रतिवादीगण अपने राजस्व हिस्से अनुसार कब्जे काश्त है जिसके विधिक विभाजन हेतु वादीया ने प्रतिवादीगण से समय समय पर विधिक विभाजन हेतु निवेदन किया जिस पर विधिक विभाजन हेतु प्रतिवादीगण सहमत होते रहे, लेकिन सभी पक्षकार एक समय में एक स्थान पर उपस्थित नहीं रहने के कारण विधिक विभाजन नहीं हो पाया। हाल ही दिनांक 25.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

12.2024 को वादीया द्वारा पुनः अनुरोध किया तो प्रतियादीगण और (कमला देवी)ने विधिक विभाजन के लिये मना कर दिया इसलिए वाद का विभाजन किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 10, 17, 23 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 08.05.2025 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 11 लगायत 14 की ओर से उक्त उनवानी जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद नंबर 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है राजस्व रिकार्ड के अंकन अनुसार दर्ज होने से स्वीकार है। वाद पत्र की मद नंबर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार हैं। उक्त भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं वादी ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार से जरिये विक्रय पत्र खरीद की है तथा वादी पूर्व खातेदार के फुटस्टेप पर ही काबिज काश्त हैं। यदि वादअधीन भूमि का मौके पर हो रहे विभाजन अनुसार कब्जे के आधार पर विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं हैं। वाद पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। उक्त मद में मनमर वर्णित दिनांक 25/12/2024 को वादी व मिन उत्तरदाता के मध्य किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नही हुई ना ही वादीया ने विभाजन हेतु मिन उत्तरदाता को कहा उक्त मद में अंकित समस्त कथन मनगढंत अंकित किये है। वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ। वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य हैं। वाद पत्र की मद नंबर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। यदि उक्त भूमि का पूर्व में हुये बाहमी बंटवारे एवं कब्जे काश्त के मध्यनजर विधिक विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नही हैं। वाद पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार हैं। मिन उत्तरदातागण भी उक्त भूमि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को सहकाश्तकार किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादी मिन उत्तरदातागण को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही हैं। बाद पत्र की मद नंबर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। वादी ने बिना किसी कारण प्रतिवादी संख्या 24 व 25 को उक्त वाद में पक्षकार बनाया है। वादी का वाद किसी भी ... से आवश्यक प्रकृति का नहीं हैं। कानूनन वाद पेश करने से पहले दो माह पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था। परन्तु वादी ने धारा 80 सीपीसी के नोटिस पेश नहीं कर सीधे ही उक्त वाद पेश किया है जो धारा 80 सीपीसी के अभाव में खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 11 लगायत 14 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादअधीन भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही हैं। शेष अन्तोष उत्तरदाता के विरूद्ध पोषणीय नहीं होने की वजह से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

. प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 371 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 0.21 कुल किता 14 कुल रकबा 2.75 हैक्टयर वाके ग्राम दादरबावडी, पटवार हल्का खन्नीपुरा, भू. अभि. नि. क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण को आदेशित किया जाता है कि वे कब्जे काश्त के मध्नजर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कर राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर घोषणा अनुसार तकासमा कर, जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार, उभयपक्ष की उपस्थिति में, उनको नोटिस देकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर तीन–तीन प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/3636 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. कमला देवी पत्नी श्रवणलाल हि. 3/5 जाति– बलाई नि. नाहरी का बास पो. माचवा तह. जयपुर खातेदार, नानछी पत्नी महादेव हि. 1/5, मूली देवी पत्नी मदनलाल हि. 1/25, पप्पू कुमार पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/25, किरण देवी गुड्डी देवी रेखा देवी पिता मदनलाल हि. 3/25 जाति– बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 378/2 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नं. 379 रकबा 0.200 हैक्टेयर, खसरा नं. 391 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3475 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गोपाल लाल पुत्र बोदिया उर्फ बोदूराम हि. 1/2, रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण हि. 1/8, नाथी पत्नी श्रवणलाल हि. 1/24, नेमचन्द भोला पिता [illegible] हि. 2/24, लालाराम पुत्र मगला हि. 1/4 जाति– बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 369 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 371 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 372 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

3. रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण हि. पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 373/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 374 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 375/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 377/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. नाथी पत्नी श्रवणलाल 1/3 नेमचंद भोला पि0 श्रवणलाल जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 373/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. प्रकाशचंद रमेशचंद सुरेश कुमार पि0 रामचंद्र हि. जाति बलाई, सा. आछोजाई तह. आमेर के हिस्से खसरा नंबर 370 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण हि. 1/3 नाथी पत्नी श्रवणलाल हि. 1/9 नेमचंद भोला पि0 श्रवणलाल हि. 2/9 गोपाल पुत्र बोदूराम उर्फ बोदिया हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 375/1 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 377/1 रकबा 0.0050 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
7. राजेश कुमार मेघवाल पुत्र नानालाल मेघवाल हि. पूर्ण जाति बलाई, नि. म. न. 31 G रेल्वे कॉलोनी राणा प्रताप नगर उदयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 377/4 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, 378/1 रकबा 0.0925 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
8. गोपाल पुत्र बोदूराम उर्फ बोदिया हि. 933/970 गुलाब देवी नाना देवी माली देवी पुत्रियां बोदिया उर्फ बोदूराम हि. 111/3880 कालूराम, दीपक, रोशन, मनभर देवी, सुगना देवी पुत्र पुत्रियां हीरा देवी हि. 185/19400 जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 367 रकबा 0.53 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 377/3 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 13 / 2025 वाद प्रस्तुति दिनांक – 21.01.2025

कमला देवी पत्नि श्रवणलाल जाति बलाई निवासी ग्राम नारीका बास पोस्ट मॉचवा तहसील व जिला जयपुर।

.......वादीया

बनाम

1. कालूराम पुत्र हीरा देवी
2 दीपक पुत्र हीरा देवी
3. रोशन पुत्र हीरा देवी

सभी 01 जाति बलाई सहित 03 लोग ग्राम मुण्डोता तहसील मुण्डोता जिला जयपुर के निवासी हैं।

4. मनभरी देवी पुत्री हीरा देवी पत्नि कैलाश जाति बलाई निवासी ग्राम चरण नदी बालाजी कॉलेज के पास नाडी का फाटक तहसील व जिला जयपुर।
5. सुगना देवी पुत्री हीरा देवी पत्नि कालूराम जाति बलाई निवासी ग्राम महेशवास तहसील मुण्डोता जिला जयपुर।
6. किरण देवी पुत्री मदनलाल
7. गुडडी देवी पुत्री मदनलाल
8. रेखा देवी पुत्री मदनलाल
9. मूली देवी पत्नि मदनलाल
10. पप्पु पुत्र मदनलाल

समस्त 06 लगायत 10 जाति बलाई निवासी ग्राम दादरबावडी तहसील जालसू जिला जयपुर।

11. गुलाब देवी पुत्री बोदुराम उर्फ बोदया पत्नि प्रहलाद जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
12. नाना देवी पुत्री बोदुराम उर्फ बोदया पत्नि कजोडमल जाति बलाई निवासी ग्राम मण्डा तहसील कालवाड जिला जयपुर।
13. माली देवी पुत्री बोदुराम उर्फ बोदया पत्नि रामूजी जाति बलाई निवासी ग्राम खपरिया तहसील जालसू जिला जयपुर।
14. गोपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र बोदुराम उर्फ बोदयां
15. नेमचन्द पुत्र श्रवणलाल
16. भोला पुत्र श्रवणलाल
17. महादेव की पत्नी नानची
18. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण
19. लालाराम पुत्र मंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

समस्त 13 लगायत 19 जाति बलाई निवासी ग्राम दादर बावडी तहसील जालसू जिला जयपुर।

सहायक कर्मचारी, आमेर प्र. जयपुर

20. प्रकाश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र
21. रमेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
22. सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र समस्त 19 लगायत 21 जाति बलाई निवासी ग्राम आछोजाई तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

23. राजेश कुमार मेघवाल पुत्र नानालाल मेघवाल जाति बलाई निवासी मकान नम्बर 31/जी, रेलवे कॉलोनी राणा प्रताप नगर उदयपुर। हाल निवासी 319 बी 01 रजनी विहार तह. व जिला जयपुर।

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

25. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा सरना डुगर तहसील झोटवाडा जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. कमला देवी पत्नी श्रवणलाल हि. 3/5 जाति– बलाई नि. नाहरी का बास पो. माचवा तह. जयपुर खातेदार, नानछी पत्नी महादेव हि. 1/5, मूली देवी पत्नी मदनलाल हि. 1/25, पप्पू कुमार पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/25, किरण देवी गुड्डी देवी रेखा देवी पिता मदनलाल हि. 3/25 जाति– बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 378/2 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नं. 379 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 391 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3475 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. गोपाल लाल पुत्र बोदिया उर्फ बोदूराम हि. 1/2, रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण हि. 1/8, नाथी पत्नी श्रवणलाल हि. 1/24, नेमचन्द भोला पिता श्रवणलाल हि. 2/24, लालाराम पुत्र मगला हि. 1/4 जाति– बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 369 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 371 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 372 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. रूघनाथ पुत्र लक्ष्मण हि. पूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 373/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 374 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 375/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 377/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. नाथी पत्नी श्रवणलाल 1/3 नेमचंद भोला पि0 श्रवणलाल जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 373/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 376 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. प्रकाशचंद रमेशचंद सुरेश कुमार [illegible] हि. [illegible] बलाई, सा. आछोजाई तह. आमेर के हिस्से खसरा नंबर 370 रकबा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

6. रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण हि. 1/3 [illegible] हि. 1/9 नेमचंद भोला पि0 श्रवणलाल हि. 2/9 गोपाल पुत्र बोदूराम उर्फ बो[illegible] हि. 1/3 जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 375/1 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 377 रकबा 0.0050 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

7. राजेश कुमार मेघवाल पुत्र नानालाल मेघवाल हि. पूर्ण जाति बलाई, नि. म. न. 31G रेल्वे कॉलोनी राणा प्रताप नगर उदयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 377/4 रकबा 0.2150

हैक्टेयर, 378/1 रकबा 0.0925 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

8. गोपाल पुत्र बोदूराम उर्फ बोदिया हि. 933/970 गुलाब देवी नाना देवी माली देवी पुत्रियां बोदिया उर्फ बोदूराम हि. 111/3880 कालूराम, दीपक, रोशन, मनभर देवी, सुगना देवी पुत्र पुत्रियां हीरा देवी हि. 185/19400 जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 367 रकबा 0.53 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 377/3 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 19.09.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested